निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :— 141/2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :— 04/04/2022
निर्णय दिनांक :— 27/06/2025

अनवान

1. लादू पुत्र हेमा जाति खटीक निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. भैरू पुत्र हेमा जाति खटीक निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
3. कंकू पत्नि हेमा जाति खटीक निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
4. अणछी पुत्री हेमा जाति खटीक निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नारू पिता प्रताप रेगर जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
2. चन्द्रभानसिंह पिता सरदारसिह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
3. कृष्ण कुमारी पत्नि प्रदयुमनसिह जाति राजपुत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 193 आराजी संख्या 1869, 1870, 1871 कुल किता 03 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात उक्त भूमि शामलाती है एवं प्रार्थीगण उक्त नम्बरो की देख भाल कर रहा है। निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करते चले आ रहे हे, किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री / सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एवं हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थीगण को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशांती कायम रहती है प्रार्थीगण शांति पूर्वक काश्त , उपयोग व उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षी की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षी प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षी से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थीगण खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थीगण को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षी आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम लसानी की खाता नम्बर 193 आराजी

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला- राजसमन्द

नम्बर 1869,1870,1871 कुल किता 3 कुल रक्बा 1.5500 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 01, 02, बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार हैः—

111. Decision of disputes as to boundaries –

(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the exiting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party bease entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

128. Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 193 आराजी संख्या 1869, 1870, 1871 कुल किता 03 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार, देवगढ को आदेशित किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकरों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खडी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सुपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ को लिखा जावें पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्जुन चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द